


परियोजना का नाम:- ऊखीमठ नगर पंचायत पेयजल योजना

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

ह0/-
प्रयोक्ता एजेन्सी
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Sanshadhan Vikash
Evam Nirman Nigam, Rudraprayag




वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

ह0/-
उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयागीय वन विभाग
रुद्रप्रयाग

नोट :-उक्त प्रमाण-पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।